राजनीति

न्यायपालिका की भूमिका

1. **संविधान का संरक्षक** : न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि कानून और कार्य संविधान के अनुरूप हों।
   - *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)* : मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई।
2. **अधिकारों का संरक्षण** : व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
   - *न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)* : अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।
3. **विवाद समाधान** : व्यक्तियों, राज्यों और संघ के बीच विवादों का समाधान करता है।
   - *कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (कृष्णा जल विवाद)* : अंतर्राज्यीय जल विवाद सुलझाया गया।
4. **कार्यपालिका की जवाबदेही** : यह कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश लगाने का काम करती है।
   - *मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)* : उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को मजबूत किया गया और मनमानी कार्यकारी कार्रवाई को सीमित किया गया।
5. **न्यायिक स्वतंत्रता** : अन्य सरकारी अंगों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।
   - *एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)* : न्यायाधीश स्थानांतरण मामले के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला गया।
6. **कानूनी सुधार** : न्यायिक सक्रियता के माध्यम से बदलते सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कानूनों को अनुकूलित करना।
   - *विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)* : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश स्थापित किए गए।

Freedom Academy TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

7. **सामाजिक न्याय** : हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करता है और सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

    - *ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)* : आजीविका के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

1. **अनुच्छेद 124** : भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने को निर्दिष्ट करता है।
2. **अनुच्छेद 125** : यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जा सकेंगे।
3. **अनुच्छेद 141** : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी घोषित करता है।
4. **अनुच्छेद 50** : राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।
5. **अनुच्छेद 217** : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को निर्दिष्ट करता है।
6. **अनुच्छेद 124(4)** : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
7. **अनुच्छेद 32** : नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
8. **अनुच्छेद 128** : सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य करने की अनुमति देता है।

न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण लेख

1. **अनुच्छेद 142** : सर्वोच्च न्यायालय को "पूर्ण न्याय" करने के लिए आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।

    - उदाहरण: *यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ* (भोपाल गैस त्रासदी मुआवजा मामला)।

2. **अनुच्छेद 143** : राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व या विधि के प्रश्नों को सलाहकारी राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने की अनुमति देता है।

    - उदाहरण: *रे बेरुबारी यूनियन केस (1960)* और *अयोध्या विवाद (2019) में* राष्ट्रपति का संदर्भ।

सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)

1. **दायरा** :

    - राष्ट्रपति विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्नों पर सलाह ले सकते हैं।
    - इसमें पूर्व-संवैधानिक संधियों, समझौतों या विवादों को शामिल किया गया है।

2. **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति** :

    - **जब सलाह उपयुक्त न हो** : सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के संदर्भ को अस्वीकार कर सकता है यदि वह प्रश्न को न्यायिक निर्धारण के लिए अनुपयुक्त समझता है।
    - उदाहरण: **कावेरी जल विवाद संदर्भ (1992) में** , सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए राय देने से इनकार कर दिया कि यह मामला सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें विशुद्ध कानूनी प्रश्न न होकर राजनीतिक और तकनीकी जटिलताएं शामिल हैं।

3. **बंधन प्रकृति** :

    - राष्ट्रपति सलाहकार राय पर कार्य करने के लिए **बाध्य नहीं है।**
    - उदाहरण: *केरल शिक्षा विधेयक मामले (1958) में* : सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी, लेकिन अंतिम निर्णय कार्यपालिका के पास था।

कॉलेजियम प्रणाली के मुद्दे और समाधान

नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे

1. **संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन** :

    - *मुद्दा* : अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, जिसे कॉलेजियम दरकिनार कर देता है।
    - *उदाहरण* : 214वें विधि आयोग ने कहा कि कॉलेजियम कार्यकारी जवाबदेही के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करता है।

2. **संवैधानिकता** :

    - *मुद्दा* : संविधान सभा ने मुख्य न्यायाधीश को वीटो शक्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने न्यायिक प्रधानता प्रदान करके ऐसा किया।

○ *उदाहरण* : इस मामले ने शक्ति संतुलन को न्यायपालिका की ओर झुका दिया, जो विधानसभा की मंशा से अलग था।

3. **अलोकतांत्रिक और अपारदर्शी** :

○ *मुद्दा* : कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है तथा इसे अपारदर्शी माना जाता है।

○ *उदाहरण* : 2020 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता की मांग की।

4. **जाँच और संतुलन का अभाव** :

○ *मुद्दा* : न्यायाधीशों के एक छोटे समूह के बीच सत्ता का संकेन्द्रण जवाबदेही संबंधी चिंताएं पैदा करता है।

○ *उदाहरण* : आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक नियुक्तियाँ अक्सर व्यक्तिगत संबंधों और समूह गतिशीलता से प्रभावित होती हैं।

5. **भाई-भतीजावाद और संरक्षण ("अंकल जज सिंड्रोम")** :

○ *मुद्दा* : पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप कॉलेजियम प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं।

○ *उदाहरण* : 230वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया तथा प्रणालीगत सुधारों का आह्वान किया गया।

6. **योग्यता बनाम वरिष्ठता बहस** :

○ *मुद्दा* : नियुक्तियों में अक्सर योग्यता की अपेक्षा वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे योग्य उम्मीदवार दरकिनार हो जाते हैं।

○ *उदाहरण* : 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की देरी से हुई नियुक्ति ने व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए।

7. **शक्ति संतुलन में गड़बड़ी** :

○ *मुद्दा* : द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने शक्ति संतुलन को कार्यपालिका से न्यायपालिका की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिससे शक्तियों का संवैधानिक पृथक्करण कमजोर हो गया।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ *उदाहरण* : नियुक्तियों पर न्यायपालिका के एकतरफा नियंत्रण की अतिक्रमण के रूप में आलोचना की गई है।

समाधान

1. **प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप देना** :

    ○ *समाधान* : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन केस (2017) में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को संशोधित करने पर जोर दिया। MoP को एक संरचित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।

2. **न्यायिक प्रधानता, विशिष्टता नहीं** :

    ○ *समाधान* : न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम में सुधार किया जाए तथा नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यपालिका के इनपुट को भी इसमें शामिल किया जाए।

    ○ *उदाहरण* : ब्रिटेन के **न्यायिक नियुक्ति आयोग के समान एक पुनर्गठित निकाय** , जिसमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य शामिल हों, समावेशिता और विविधता सुनिश्चित कर सकता है।

3. **पारदर्शिता उपाय** :

    ○ *समाधान* : जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम के विचार-विमर्श और निर्णयों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

    ○ *उदाहरण* : अनुशंसाओं या अस्वीकृतियों के कारणों का खुलासा करने से विश्वास बढ़ेगा और भाई-भतीजावाद के आरोपों में कमी आएगी।

4. **संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना** :

    ○ *समाधान :* न्यायिक प्रधानता और कार्यकारी जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)** जैसे एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए ।

    ○ *उदाहरण* : हालांकि एनजेएसी को रद्द कर दिया गया, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने वाला संशोधित संस्करण चिंताओं का समाधान कर सकता है।

5. **योग्यता आधारित नियुक्तियाँ** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- *समाधान* : नियुक्तियों में पेशेवर क्षमता, निष्ठा और प्रदर्शन जैसे मानदंडों को आधार बनाया जाना चाहिए, न कि केवल वरिष्ठता को।
- *उदाहरण* : कनाडाई मॉडल न्यायिक दर्शन और सामुदायिक सहभागिता जैसे विविध मापदंडों पर विचार करता है।

6. **संघीय प्रतिनिधित्व** :
   - *समाधान* : विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के न्यायाधीशों को शामिल करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियुक्तियां भारत के संघीय चरित्र को प्रतिबिंबित करें।
   - *उदाहरण* : दक्षिण अफ्रीका जैसे देश समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों में विविधता को अनिवार्य बनाते हैं।
7. **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय** :
   - *समाधान* : नियुक्तियों की समीक्षा के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन करें, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों।
   - *उदाहरण* : संयुक्त राज्य अमेरिका की **सीनेट न्यायपालिका समिति** पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा करती है।
8. **आवधिक समीक्षा और प्रशिक्षण** :
   - *समाधान* : न्यायिक प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा तथा न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण लागू किया जाए।
   - *उदाहरण* : सिंगापुर की न्यायपालिका निरंतर कानूनी शिक्षा और दक्षता की समीक्षा से गुजरती है।

सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण

1. **यूनाइटेड किंगडम** :
   - न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी) एक स्वतंत्र, योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करता है।
2. **कनाडा** :
   - न्यायिक नियुक्तियों की देखरेख स्वतंत्र सलाहकार समितियों द्वारा की जाती है जो योग्यता और विविधता को प्राथमिकता देती हैं।

3. **दक्षिण अफ्रीका** :

   ○ न्यायिक सेवा आयोग (जेएससी) न्यायिक नियुक्तियों में विविधता सुनिश्चित करते हुए न्यायिक और कार्यकारी भूमिकाओं में संतुलन स्थापित करता है।

4. **यूएसए** :

   ○ सीनेट की पुष्टि सुनवाई स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करती है।

भारत में न्यायिक जवाबदेही

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश नैतिक मानकों का पालन करें, निष्पक्ष रूप से कार्य करें, और कदाचार या अकुशलता के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएँ। संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही को संतुलित करना आवश्यक है।

न्यायिक जवाबदेही के प्रमुख तंत्र

1. **महाभियोग प्रक्रिया** :

   ○ अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में "सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता" के आधार पर न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान है।

   ○ *उदाहरण* : वित्तीय कदाचार के लिए *न्यायमूर्ति सौमित्र सेन (2011) पर महाभियोग चलाने* से प्रक्रिया में देरी उजागर हुई।

2. **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (2010)** :

   ○ न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए न्यायिक निगरानी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। हालाँकि, यह विधेयक अभी तक पारित नहीं हो पाया है।

3. **न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता** :

   ○ न्यायाधीश *न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन* (1997) का पालन करते हैं, लेकिन इसमें वैधानिक समर्थन का अभाव है, जिससे इसका प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

4. **जनहित याचिका (पीआईएल)** :

   ○ न्यायपालिका ने कदाचार के आरोपों को जनहित याचिकाओं (जैसे, *न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा मामला*) के माध्यम से संबोधित किया है, लेकिन ये हस्तक्षेप दुर्लभ हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

5. **परिसंपत्तियों की घोषणा** :

   ○ न्यायाधीश कानूनी रूप से सम्पत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिससे पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

6. **विधि आयोग की रिपोर्टें** :

   ○ क्रमिक रिपोर्टों (जैसे, 214वीं और 230वीं) ने न्यायिक भ्रष्टाचार को दूर करने, नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाने और जवाबदेही के लागू करने योग्य मानक स्थापित करने के लिए सुधारों की सिफारिश की है।

न्यायिक जवाबदेही से संबंधित मुद्दे

1. **अपर्याप्त विधायी तंत्र** :

   ○ न्यायिक भ्रष्टाचार या अकुशलता से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं हैं।

   ○ *उदाहरण* : न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का महाभियोग *(1993)* राजनीतिक विरोध के कारण विफल हो गया।

2. **अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली** :

   ○ "न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति" की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और अक्सर भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए इसकी आलोचना की जाती है।

3. **न्यायिक लंबितता और विलंब** :

   ○ भारत की अदालतों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो रहा है।

   ○ *उदाहरण* : अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

4. **न्यायिक स्वतंत्रता के साथ संघर्ष** :

   ○ सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली बाहरी जांच न्यायिक स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है।

   ○ *उदाहरण* : *न्यायमूर्ति सीएस कर्णन केस (2017) ने* कार्यपालिका के हस्तक्षेप के जोखिमों पर प्रकाश डाला।

5. **आरटीआई से बहिष्कार** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ न्यायपालिका को आरटीआई से छूट दी गई है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों और परिसंपत्ति प्रकटीकरण में पारदर्शिता सीमित हो गई है।

न्यायिक स्वतंत्रता

परिभाषा :

न्यायिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका, विधायिका या अन्य बाहरी दबावों के हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करे।

स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान

1. **कार्यकाल की सुरक्षा** :

   ○ न्यायाधीशों को केवल अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिससे मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

2. **वेतन एवं भत्ते** :

   ○ अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके पारिश्रमिक में कटौती न करने की गारंटी देता है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहेगी।

3. **न्यायिक समीक्षा** :

   ○ अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार देते हैं।

4. **शक्तियों का पृथक्करण** :

   ○ अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान करता है।

5. **कॉलेजियम प्रणाली** :

   ○ न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करता है, यद्यपि इसकी पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना की जाती है।

न्यायिक जवाबदेही बनाम न्यायिक स्वतंत्रता

जवाबदेही के पक्ष में तर्क

1. **जनता का विश्वास बढ़ता है** :

   ○ परिसंपत्ति प्रकटीकरण और निरीक्षण निकाय जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार करती हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

2. **भ्रष्टाचार पर ध्यान** :

    ○ एक मजबूत ढांचा अनैतिक व्यवहार को रोक सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्यायिक नैतिकता कायम रहे।

3. **शीघ्र न्याय प्रदान करना** :

    ○ विलंब के लिए जवाबदेही से बेहतर मामला प्रबंधन हो सकता है और लंबित मामलों में कमी आ सकती है।

जवाबदेही के खिलाफ तर्क

1. **स्वतंत्रता को खतरा** :

    ○ जवाबदेही के नाम पर कार्यपालिका या विधायिका द्वारा अतिक्रमण न्यायिक स्वायत्तता से समझौता कर सकता है।

2. **दुरुपयोग की गुंजाइश** :

    ○ निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बाह्य जवाबदेही तंत्र राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं।

न्यायिक जवाबदेही के लिए समितियां और सिफारिशें

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

1. **मलिमथ समिति (2000)** :

    ○ न्यायिक जवाबदेही और तेजी से मामले के समाधान सहित आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुधारों की सिफारिश की गई।

2. **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) (2007-09)** :

    ○ लंबित मामलों को कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मामला प्रबंधन प्रणाली, न्यायिक प्रशिक्षण और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का सुझाव दिया गया।

3. **विधि आयोग की रिपोर्टें** :

    ○ **67वीं रिपोर्ट (1977)** : न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।

    ○ **230वीं रिपोर्ट (2009)** : न्यायिक विलंब को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा फास्ट-ट्रैक अदालतों, बुनियादी ढांचे में सुधार और न्यायिक क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

4. **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013)** :

    ○ मामलों से निपटने में न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार की सिफारिश की गई, विशेष रूप से लैंगिक न्याय से संबंधित मामलों में।

5. **न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया समिति (2002)** :

    ○ न्यायिक नियुक्तियों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।

6. **जस्टिस एसपी भरूचा समिति (2001)** :

    ○ एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से न्यायिक चयन और जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट ढांचा बनाने की वकालत की गई।

7. **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम (2014)** :

    ○ इसका उद्देश्य कार्यपालिका और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करके कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करना था, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने के कारण इसे 2015 में रद्द कर दिया गया।

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुझाव

तत्काल सुधार

1. **न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक पारित करना** :

    ○ नैतिक दिशा-निर्देशों और प्रवर्तनीय मानकों के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करें।

2. **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय** :

    ○ शिकायतों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करके एक *न्यायिक लोकपाल या लोकपाल की स्थापना की जाए।*

    ○ *उदाहरण* : दक्षिण अफ्रीका का *न्यायिक सेवा आयोग* स्वतंत्रता से समझौता किए बिना न्यायिक आचरण की देखरेख करता है।

3. **कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता** :

    ○ निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पक्षपात को कम करने के लिए नियुक्तियों, अस्वीकृतियों और स्थानांतरणों के कारणों को प्रकाशित करें।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

4. **अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण** :

   ○ जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों के लिए संपत्ति का खुलासा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।

5. **महाभियोग को सरल बनाएं** :

   ○ महाभियोग प्रक्रिया में सुधार करके इसे कम राजनीतिक तथा अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए।

दीर्घकालिक सुधार

1. **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग** :

   ○ न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एनजेएसी को पुनः लागू किया जाए।

2. **न्यायिक निष्पादन समीक्षा** :

   ○ मात्रात्मक (मामले निपटान) और गुणात्मक मैट्रिक्स के आधार पर आवधिक समीक्षा लागू करें।

   ○ *उदाहरण* : संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र आयोगों के माध्यम से न्यायाधीशों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

3. **बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाएँ** :

   ○ लंबित मामलों को कम करने और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को बढ़ाएं।

4. **प्रौद्योगिकी का उपयोग** :

   ○ केस आवंटन को सुव्यवस्थित करने और न्यायिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एआई-आधारित केस प्रबंधन प्रणाली शुरू करना।

   ○ *उदाहरण* : सिंगापुर कुशल मामले निपटान के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान का उपयोग करता है।

5. **न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** :

   ○ कार्यकुशलता में सुधार के लिए नैतिकता, प्रौद्योगिकी और मामला प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण।

6. **फास्ट-ट्रैक अदालतों को मजबूत करें** :

    ○ महिला सुरक्षा, आर्थिक अपराध और वरिष्ठ नागरिक मुद्दों जैसे प्राथमिकता वाले मामलों के लिए अधिक फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करें।

7. **सरकारों द्वारा मुकदमेबाजी प्रबंधन** :

    ○ सरकारी मुकदमेबाजी को कम करना, जो लगभग 46% मामलों का हिस्सा है। विभागों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अपनाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण

1. **यूनाइटेड किंगडम** :

    ○ न्यायिक *नियुक्ति आयोग (जेएसी)* जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हुए पारदर्शी, योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

2. **कनाडा** :

    ○ कनाडाई *न्यायिक परिषद* स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करती है।

3. **दक्षिण अफ्रीका** :

    ○ न्यायिक *सेवा आयोग* विविध प्रतिनिधित्व के साथ न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही की देखरेख करता है।

4. **यूएसए** :

    ○ न्यायिक नियुक्तियों के लिए सीनेट की सुनवाई पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और स्वतंत्र आयोग समय-समय पर न्यायाधीशों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं।

भारत में न्यायिक लंबितता: कारण, प्रभाव और समाधान

न्यायिक लंबित मामलों का मतलब न्यायिक प्रणाली में अनसुलझे मामलों के लंबित होने से है, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है। भारत की सभी अदालतों में 4.5 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित होने के कारण, न्यायिक लंबित मामले न्यायपालिका में जनता के भरोसे को कमज़ोर करने वाला एक गंभीर मुद्दा है।

न्यायिक लंबितता के कारण

1. संस्थागत मुद्दे

1. **कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात** :
    - भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं, जो विधि आयोग की प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है।
    - *उदाहरण* : संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 107 न्यायाधीश हैं, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो पाता है।
2. **न्यायिक रिक्तियां** :
    - न्यायपालिका के सभी स्तरों पर रिक्तियां लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाती हैं।
    - *उदाहरण* : अगस्त 2023 तक, सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत 34 न्यायाधीशों के मुकाबले 32 न्यायाधीश थे, जबकि उच्च न्यायालयों में 25% से अधिक पद रिक्त थे।
3. **भारी कार्यभार** :
    - अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 80,344 मामले लंबित हैं, जिनमें से 78% सिविल मामले और 22% फौजदारी मामले हैं।
4. **कोर्ट मैनेजरों की कमी** :
    - न्यायिक समय और मामलों के निष्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए सृजित न्यायालय प्रबंधक का पद अभी भी अपर्याप्त रूप से उपयोग में लाया जा रहा है।
5. **न्यायिक अवकाश** :
    - अदालतें लंबे समय तक बंद रहती हैं।
    - *उदाहरण* : विधि आयोग के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवर्ष केवल 193 दिन काम करता है।

2. प्रक्रियात्मक और कानूनी मुद्दे

1. **तुच्छ मामले दर्ज करना** :
    - न्यायालयों का व्यापक क्षेत्राधिकार तुच्छ मुकदमेबाजी को जन्म देता है।
    - *उदाहरण* : प्रस्तावना से "धर्मनिरपेक्षता" को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिकाएं समय लेने वाली विचलित करने वाली हैं।
2. **सरकारी मुकदमेबाजी** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- 46% अदालती मामले राज्य या केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, जिससे न्यायिक बोझ बढ़ जाता है।

3. **जटिल प्रक्रियात्मक कानून** :

    - सिविल और आपराधिक मामलों में अत्यधिक जटिल प्रक्रियात्मक ढांचे के कारण अनावश्यक देरी होती है।

4. **अकुशल साक्ष्य संग्रहण** :

    - साक्ष्य संग्रहण में पुलिस के खराब प्रशिक्षण और वैज्ञानिक तकनीकों की कमी के कारण लंबी देरी होती है।

3. बुनियादी ढांचे की कमी

1. **पर्याप्त सुविधाओं का अभाव** :

    - अपर्याप्त न्यायालय कक्ष, स्टाफ और प्रौद्योगिकी के कारण कार्यकुशलता में बाधा आती है।

    - *उदाहरण* : कई जिला न्यायालयों में कार्यात्मक शौचालय और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

2. **तकनीकी अंतराल** :

    - यद्यपि ई-न्यायालय शुरू किए गए हैं, लेकिन उनकी पहुंच और दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. व्यापक प्रणालीगत मुद्दे

1. **विचाराधीन जनसंख्या** :

    - एनसीआरबी जेल सांख्यिकी 2020 के अनुसार, जेल में बंद कैदियों की संख्या 76% है, जो न्यायिक देरी को दर्शाता है।

2. **विलंबित भर्ती एवं प्रशिक्षण** :

    - न्यायाधीशों की अनियमित भर्ती और नवनियुक्त न्यायाधीशों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, अकुशलता में योगदान देता है।

न्यायिक लंबितता का प्रभाव

1. **न्याय मिलने में देरी** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

उच्च न्यायालय: औसत समाधान समय: लगभग 6 से 7 वर्ष।

सुप्रीम कोर्ट:

- **सिविल मामले:** निष्कर्ष तक पहुंचने में औसतन 15 वर्ष लग सकते हैं।
- **आपराधिक मामले:** समाधान में लगभग 8 वर्ष लग सकते हैं।

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय:

- **सिविल मामले:** मामलों के निपटान की वर्तमान गति को देखते हुए, सिविल मामले कभी भी निपट नहीं पाएंगे।
- **आपराधिक मामले:** लंबित मुकदमों को निपटाने में 30 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है।

2. **न्याय की गुणवत्ता से समझौता** :
    - भारी कार्यभार के कारण न्यायाधीशों के पास मामलों का गहन विश्लेषण करने के लिए समय की कमी हो सकती है।
3. **सार्वजनिक विश्वास में कमी** :
    - लगातार देरी से न्यायिक प्रणाली में विश्वास कमजोर होता है।
4. **वादियों पर वित्तीय बोझ** :
    - लम्बी कानूनी लड़ाइयां पक्षों पर भारी वित्तीय दबाव डालती हैं।
5. **विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि** :
    - बिना सुनवाई के लम्बे समय तक हिरासत में रखना त्वरित न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।
    - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में जेल सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार, विचाराधीन कैदियों की संख्या कुल **जेल आबादी का 75.8% है, जो कि कुल 573,220 कैदियों में से 434,302 है।**

न्यायिक लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए वर्तमान कदम

तकनीकी हस्तक्षेप

1. **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ मामले के प्रबंधन में तेजी लाने के लिए **अदालती रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत।**

2. **अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस)** :

    ○ तेजी से मामले के समाधान के लिए पुलिस, न्यायपालिका और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।

3. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण** :

    ○ **सुपेस (SUPACE)** : कानूनी अनुसंधान और प्रासंगिक केस कानूनों के संकलन में न्यायाधीशों की सहायता करता है।

    ○ **SUVAS** : **क्षेत्रीय भाषा समर्थन** के लिए AI-आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर।

4. **आभासी न्यायालय(virtual court)** :

    ○ सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग बढ़ा है, विशेषकर कोविड-19 के बाद।

संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार

1. **लोक अदालतें** :

    ○ पारंपरिक अदालतों के बाहर विवादों को निपटाने के लिए सप्ताह में बार-बार लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

    ○ *उदाहरण* : **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू** ने लंबित मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

2. **फास्ट-ट्रैक न्यायालय** :

    ○ यौन अपराध और आर्थिक अपराध जैसे प्राथमिकता वाले मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।

3. **मामला प्रबंधन प्रणाली** :

    ○ मामले की समयसीमा पर नज़र रखने और दक्षता में सुधार करने के लिए **द्वितीय एआरसी(2 nd ARC)द्वारा सिफारिशें।**

न्यायिक लंबित मामलों को और कम करने के लिए आवश्यक उपाय

संस्थागत सुधार

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

1. **न्यायाधीश की शक्ति बढ़ाएँ** :

    ○ प्रति दस लाख व्यक्तियों पर 50 न्यायाधीशों की **विधि आयोग की सिफारिश** को लागू किया जाए।

2. **न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरें** :

    ○ उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए ताकि देरी कम हो।

3. **न्यायालय कार्य दिवस बढ़ाएँ** :

    ○ **मलिमथ समिति और विधि आयोग** की सिफारिश के अनुसार छुट्टियों को कम करें।

    ○ *उदाहरण* : सुप्रीम कोर्ट प्रतिवर्ष 193 के बजाय 206 दिन काम कर सकता है।

4. **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का परिचय** :

    ○ राज्यों में न्यायाधीशों की मानकीकृत भर्ती सुनिश्चित करना।

    ○ *सिफारिश* : **120वीं विधि आयोग रिपोर्ट।**

तकनीकी और बुनियादी ढांचे में सुधार

1. **ई-कोर्ट का विस्तार** :

    ○ ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार करना तथा सभी राज्यों में इसका सुसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

2. **बुनियादी ढांचे को मजबूत करें** :

    ○ नये न्यायालयों, कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करें।

    ○ *उदाहरण* : **13वें वित्त आयोग** ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित किया।

3. **वर्चुअल सुनवाई को प्रोत्साहित करें** :

    ○ कार्यकुशलता में सुधार के लिए वर्चुअल कोर्ट और SUPACE जैसे AI उपकरणों का लाभ उठाएं।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र

1. **एडीआर जागरूकता को बढ़ावा देना** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता, पंचनिर्णय और सुलह को प्रोत्साहित करें।
- *उदाहरण*: **न्यायमूर्ति मलिमथ समिति** ने ए.डी.आर. तंत्र को मजबूत करने की वकालत की।

2. **न्यायालय के बाहर समझौते को प्रोत्साहित करें** :
    - ए.डी.आर. के माध्यम से निपटाए गए विवादों के लिए न्यायालय शुल्क कम किया जाएगा।

सरकारी मुकदमेबाजी में कमी

1. **सरकारी अपील को सरल बनाएं** :
    - अपील दायर करने से पहले सरकारी मामलों की समीक्षा करने के लिए तंत्र लागू करें।
    - *उदाहरण*: **नीति आयोग** ने सरकारी निकायों द्वारा निरर्थक मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया है।

न्यायिक जवाबदेही बढ़ाना

1. **मामले के निपटान का लक्ष्य निर्धारित करें** :
    - पुराने और विचाराधीन मामलों को प्राथमिकता देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना।
2. **प्रदर्शन-आधारित समीक्षाएँ** :
    - निपटान दरों और मामले से निपटने की दक्षता के आधार पर न्यायाधीशों का आवधिक मूल्यांकन शुरू करें।

समितियां और सिफारिशें

1. **मलिमथ समिति (2000)** :
    - छुट्टियों को कम करने और अदालती कार्य दिवसों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया।
2. **230वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2009)** :
    - फास्ट-ट्रैक अदालतों और बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर जोर दिया गया।
3. **दूसरा एआरसी (2007-09)** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- केस प्रबंधन प्रणाली और ए.डी.आर. संवर्धन की वकालत की।

4. **न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग (2002)** :
    - न्यायिक शक्ति बढ़ाने और एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति निकाय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियां

उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में देरी से लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है, जनता का विश्वास कम होता है और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की न्यायपालिका की क्षमता में बाधा आती है। उच्च न्यायालयों में लगभग **40% न्यायिक पद** रिक्त रहते हैं, जिससे न्याय वितरण प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

1. **कॉलेजियम की सिफारिश** :
    - **उच्च न्यायालय कॉलेजियम** (**उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम** न्यायाधीश) **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम** को नामों की सिफारिश करता है।
2. **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समीक्षा** :
    - सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम समीक्षा करता है और सिफारिशें केन्द्र सरकार को भेजता है।
3. **कार्यकारी अनुमोदन** :
    - केन्द्र सरकार पृष्ठभूमि की जांच करती है और नामों को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है।
4. **नियुक्ति** :
    - **राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश** और संबंधित राज्य के **राज्यपाल के परामर्श** के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है (**अनुच्छेद 217)।**

उच्च न्यायालयों में विलंबित नियुक्तियों से संबंधित मुद्दे

1. **पदोन्नत न्यायिक अधिकारियों का अल्प कार्यकाल** :
    - पदोन्नति में देरी के कारण न्यायाधीशों के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सीमित समय बचता है।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- *उदाहरण* : सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके न्यायाधीश अक्सर लंबी नियुक्ति प्रक्रिया के कारण पदोन्नति के अवसरों से चूक जाते हैं।

2. **अनुच्छेद 224(1) को कमजोर करना** :

    - **अनुच्छेद 224(1**) लंबित मामलों को निपटाने के लिए **अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति** का आदेश देता है। नियुक्तियों में देरी से यह उद्देश्य विफल हो जाता है, मुकदमेबाज़ों को निराशा होती है और देरी और बढ़ जाती है।

3. **उच्च रिक्तियां एवं बैकलॉग** :

    - उच्च न्यायालयों में **लगभग 40%** न्यायिक पद रिक्त हैं।
    - *उदाहरण* : **2023 में, इलाहाबाद और बॉम्बे** जैसे **उच्च न्यायालय** अपनी स्वीकृत क्षमता के **60% से भी कम** के साथ काम करेंगे, जिससे लंबित मामलों की संख्या और भी खराब हो जाएगी।

4. **नियुक्तियों का राजनीतिकरण** :

    - कॉलेजियम की सिफारिशों पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच आम सहमति का अभाव अनुमोदन में देरी करता है।
    - *उदाहरण* : राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नियुक्तियों में विवादास्पद देरी हुई है।

5. **कॉलेजियम द्वारा विलंबित सिफारिशें** :

    - कुछ मामलों में, कॉलेजियम की सिफारिशें शीघ्रता से नहीं भेजी जातीं, जिससे प्रक्रिया और भी विलंबित हो जाती है।
    - *उदाहरण* : **2019 में, कॉलेजियम की सिफारिशों** में देरी के कारण **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** को न्यायाधीशों की भारी कमी का सामना करना पड़ा।

6. **दीर्घकालीन कार्यकारी अनुमोदन** :

    - कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद भी, कार्यपालिका अक्सर मंजूरी में देरी करती है, जिससे पद लम्बे समय तक रिक्त रह जाते हैं।

विलंबित नियुक्तियों का प्रभाव

1. **लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में 59 लाख से अधिक मामले सीधे तौर पर रिक्तियों के कारण लंबित हैं।

2. **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण** :

    - लगातार देरी से न्यायपालिका की समय पर न्याय देने की क्षमता पर विश्वास कम हो जाता है।

3. **न्यायिक बर्नआउट** :

    - कार्यभार के अत्यधिक बोझ से दबे न्यायाधीशों को निर्णयों की गुणवत्ता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

4. **"विलंबित न्याय न्याय से वंचित होना है" का उल्लंघन** :

    - **सिविल और आपराधिक मामलों** में वादियों को अक्सर वर्षों की देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन और आजीविका प्रभावित होती है।

न्यायिक रिक्तियों को संबोधित करने के समाधान

1. **प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को अंतिम रूप देना** :

    - नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 2016 के मसौदा एम.ओ.पी. को शीघ्र मंजूरी दी जाए।

2. **नियुक्तियों के लिए निश्चित समयसीमा** :

    - कॉलेजियम की सिफारिशों, कार्यकारी प्रक्रिया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए निश्चित समयसीमा लागू करें।
    - *उदाहरण* : **सुप्रीम कोर्ट ने** देरी से बचने के लिए 2018 में समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया।

3. **कॉलेजियम प्रणाली में सुधार** :

    - कॉलेजियम प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएँ।
    - *अनुशंसा* : **विधि आयोग (2016)** ने समयबद्ध अनुशंसाओं और अस्वीकृत नामों पर शीघ्र पुनर्विचार की वकालत की।

4. **उन्नत कार्यकारी भूमिका** :

- ○ न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका की भागीदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को पुनर्जीवित किया जाए।

5. **न्यायिक भर्ती कार्यालय** :

   ○ रिक्तियों की निगरानी, नियुक्तियों पर नज़र रखने और समय पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत कार्यालय स्थापित करें।

   ○ *उदाहरण* : **ब्रिटेन का न्यायिक नियुक्ति आयोग** कुशल न्यायिक भर्ती सुनिश्चित करता है।

6. **प्रौद्योगिकी का उपयोग** :

   ○ नौकरशाही संबंधी देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए नियुक्ति प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करें।

7. **न्यायाधीशों के लिए बेहतर प्रोत्साहन** :

   ○ न्यायिक पदों पर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वेतन, कार्य स्थितियों और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में सुधार करें।

8. **सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाएँ** :

   ○ अनुभवी न्यायाधीशों को बनाए रखने और रिक्तियों को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष की जाए।

   ○ *उदाहरण* : **वेंकैया नायडू** ने देरी को दूर करने के लिए इसे एक व्यावहारिक समाधान बताया।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **पारदर्शी एवं जवाबदेह नियुक्ति प्रक्रिया** :

   ○ संशोधित एनजेएसी या समान मॉडल कॉलेजियम की पारदर्शिता की कमी को दूर कर सकता है।

   ○ *सिफारिश* : **विधि आयोग की रिपोर्ट 230,(2009**)।

2. **उन्नत न्यायिक अवसंरचना** :

"Copyright of Freedom Academy" operated by Freedom UPSC with Dhananjay Gautam

○ समय पर नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक न्यायालय, डिजिटलीकरण और केस प्रबंधन प्रणालियों में निवेश आवश्यक है।

○ *सिफारिश* : **13वां वित्त आयोग।**

3. **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को बढ़ावा देना** :

   ○ अदालती बोझ को कम करने के लिए गैर-जटिल मामलों के लिए ए.डी.आर. तंत्र को प्रोत्साहित करें।

   ○ *उदाहरण* : **विधि आयोग की 2009 की रिपोर्ट में ए.डी.आर**. की क्षमता पर जोर दिया गया।

4. **नियमित न्यायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** :

   ○ केस प्रबंधन और कानूनी अद्यतन में निरंतर प्रशिक्षण से न्यायिक दक्षता में सुधार हो सकता है।

   ○ *सिफारिश* : **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी**)।

5. **जन जागरूकता अभियान** :

   ○ औपचारिक मुकदमेबाजी और अदालती देरी पर निर्भरता कम करने के लिए एडीआर विकल्पों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करें।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण

1. **यूनाइटेड किंगडम** :

   ○ न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यूनतम विलंब के साथ पारदर्शी, योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करता है।

2. **कनाडा** :

   ○ कनाडाई न्यायिक परिषद न्यायिक प्रदर्शन की निगरानी करती है और समय पर नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करती है।

3. **सिंगापुर** :

   ○ बैकलॉग से बचने के लिए कुशल भर्ती प्रथाओं को प्रौद्योगिकी-संचालित केस प्रबंधन के साथ संयोजित किया जाता है।

निष्कर्ष

उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों में देरी न्याय प्रदान करने में बाधा डालती है और कानूनी प्रणाली में जनता का भरोसा खत्म करती है। इन देरी को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधार, स्पष्ट समयसीमा और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है। जैसा कि न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा ने सटीक रूप से कहा, "**एक उत्तरदायी और प्रभावी न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है।**" इस सिद्धांत को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय पर नियुक्तियाँ और बेहतर बुनियादी ढाँचा आवश्यक है

PYQ

प्रश्न 1. भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? [200 शब्द] [12.5 अंक] 2024

उत्तर

जनहित याचिका (पीआईएल) से तात्पर्य सार्वजनिक हित या हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में शुरू की गई कानूनी कार्रवाइयों से है। **अनुच्छेद 14, 21 और 32 जैसे संवैधानिक प्रावधानों** पर आधारित, जनहित याचिकाएँ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं।

जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारण

1. **न्याय तक पहुंच** :
    - जनहित याचिकाएँ वंचित समूहों को न्याय पाने के लिए सशक्त बनाती हैं।
    - *उदाहरण*: ***पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2001)*** , जिसने भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी।
2. **न्यायिक सक्रियता** :
    - न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका ने इसके दायरे का विस्तार किया है।
    - *उदाहरण*: ***विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)*** *ने* कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश स्थापित किए।
3. **एनजीओ वकालत** :
    - पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से जनहित याचिकाएं दायर करते हैं।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

○ *उदाहरण : ताज ट्रैपेज़ियम मामले ने* ताजमहल के आसपास पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित किया।

4. **संवैधानिक अधिदेश** :

○ न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है।

○ *उदाहरण : मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) ने* मूल संरचना के सिद्धांत को मजबूत किया।

5. **विस्तृत लोकस स्टैंडी** :

○ **लोकस स्टैंडाई सिद्धांत** में छूट से किसी को भी सार्वजनिक हित के लिए जनहित याचिका दायर करने की अनुमति मिल जाती है।

○ *उदाहरण* : पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ***एम.सी. मेहता मामला*** *।*

जनहित याचिका से संबंधित मुद्दे

1. **तुच्छ एवं दुरुपयोगिता जनहित याचिकाएँ** :

○ कई जनहित याचिकाएं व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्यों से दायर की जाती हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है।

○ *उदाहरण* : प्रस्तावना से "धर्मनिरपेक्षता" शब्द को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिकाएं गंभीर मामलों से ध्यान हटाती हैं।

2. **न्यायिक अतिक्रमण** :

○ जनहित याचिकाओं में अत्यधिक सक्रियता कभी-कभी कार्यकारी और विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है।

○ *उदाहरण* : ***बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले (1984)*** *में* श्रम कानूनों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को लेकर आलोचना हुई।

3. **वास्तविक मामलों में देरी** :

○ तुच्छ जनहित याचिकाएं अत्यावश्यक मामलों से ध्यान भटकाती हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है।

4. **विनियमन का अभाव** :

- वास्तविक जनहित याचिकाओं को छांटने के लिए स्पष्ट ढांचे का अभाव अकुशलता को जन्म देता है।

समाधान

1. **जनहित याचिकाओं की कठोर जांच** :
   - न्यायालयों को निरर्थक मुकदमेबाजी से बचने के लिए जनहित याचिकाओं के उद्देश्य और विषय-वस्तु की जांच करनी चाहिए।
   - *उदाहरण* : सर्वोच्च न्यायालय अब दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए तुच्छ जनहित याचिकाओं पर दंड लगाता है।
2. **जनहित याचिका दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश** :
   - स्वीकार्यता के लिए सख्त मानदंड स्थापित करें, जैसा कि ***अशोक पांडे मामले (2018)*** *में सुझाया गया है* ।
3. **न्यायिक संसाधन आवंटन** :
   - महत्वपूर्ण मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए न्यायिक संसाधनों को वास्तविक जनहित मामलों पर केंद्रित करें।
4. **एनजीओ सहयोग** :
   - महत्वपूर्ण मामलों पर जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करें।

एक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का उदय

1. **नीति प्रभाव** :
   - न्यायालय ने ऐतिहासिक जनहित याचिका निर्णयों के माध्यम से सार्वजनिक नीति को आकार दिया है।
   - *उदाहरण* : *एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986)* के कारण पर्यावरण कानून बनाये गये।
2. **न्यायिक समीक्षा** :
   - न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

○ *उदाहरण*: *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में* मूल संरचना सिद्धांत पर जोर दिया गया।

3. **वैश्विक मान्यता** :

    ○ ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)*** जैसे ऐतिहासिक मामले , समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करते हुए, सामाजिक न्याय में इसकी भूमिका को रेखांकित करते हैं।

4. **सामाजिक प्रभाव** :

    ○ **जनहित याचिकाओं में लैंगिक समानता (*शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)*)** और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को संबोधित किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

जनहित याचिकाओं के उदय ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त न्यायिक प्राधिकरण में बदल दिया है, जो सामाजिक मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करता है और सार्वजनिक नीति को आकार देता है। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए जनहित याचिकाओं को विनियमित करना चाहिए।

प्रश्न 2. निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का हकदार कौन है? भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन करें। [150 शब्द] [10 अंक] 2023

उत्तर

TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 39-ए में वित्तीय या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** की स्थापना के माध्यम से इसे संस्थागत रूप दिया ।

निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए मानदंड

1. **हाशिए पर पड़े समुदाय** :

    ○ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं।

    ○ *उदाहरण*: COVID-19 के दौरान घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सहायता।

2. **तस्करी और जबरन श्रम के शिकार** :

- ○ विशेष हेल्पलाइनें तस्करी पीड़ितों को सहायता प्रदान करती हैं।

3. **विकलांग व्यक्ति** :
   - ○ आउटरीच कार्यक्रम मानसिक बीमारी या विकलांगता वाले लोगों पर लक्षित होते हैं।
4. **आय-आधारित पात्रता** :
   - ○ **5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय** में कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।
   - ○ *उदाहरण* : ***हुसैनआरा खातून मामले में*** **आर्थिक रूप** से कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच पर जोर दिया गया।
5. **आपदा पीड़ित** :
   - ○ **केरल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं** के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

नालसा की भूमिका

1. **पहुंच और विवाद समाधान** :
   - ○ **लोक अदालतों** की स्थापना कर लाखों मामलों का निपटारा किया गया।
   - ○ *उदाहरण* : **मेगा लोक अदालतों ने 2021** में एक ही आयोजन में 70,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया।
2. **लक्षित समर्थन** :
   - ○ **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों** सहित हाशिए पर पड़े समूहों को कानूनी सहायता प्रदान की गई (***एनएएलएसए बनाम भारत संघ, 2014***)।
3. **शैक्षिक आउटरीच** :
   - ○ स्कूलों में "कानूनी साक्षरता क्लब" जैसे कार्यक्रम कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं।
4. **ए.डी.आर. को बढ़ावा देना** :
   - ○ मामले के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता और सुलह को प्रोत्साहित किया गया।

चुनौतियां

"Copyright of Freedom Academy" operated by Freedom UPSC with Dhananjay Gautam

1. **संसाधन की कमी** :
    - 2019 में कानूनी सहायता निधि केवल ₹1.05 प्रति व्यक्ति थी, जिससे सेवा वितरण प्रभावित हुआ।
2. **सीमित पहुंच** :
    - 1995 से अब तक केवल 15 मिलियन लोग ही लाभान्वित हुए हैं, जो पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।
3. **कार्मिकों की कमी** :
    - जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव के 629 पदों में से 573 पद रिक्त हैं।
4. **जागरूकता की कमी** :
    - अनेक नागरिक कानूनी सहायता पाने के अपने अधिकार से अनभिज्ञ हैं।
    - *उदाहरण* : ***न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने हुसैनारा खातून मामले*** *में इस बात पर प्रकाश डाला था* ।
5. **सामाजिक कलंक** :
    - LGBTQ+ व्यक्ति और घरेलू हिंसा पीड़ित सामाजिक दबाव के कारण मदद लेने में झिझकते हैं।
6. **ए.डी.आर. का कम उपयोग** :
    - न्यायमूर्ति यूयू ललित के अनुसार, कानूनी सहायता सेवाएं केवल 1% लंबित मामलों का ही समाधान करती हैं।

समाधान

1. **उन्नत एडीआर तंत्र** :
    - तीव्र एवं लागत प्रभावी समाधान के लिए मध्यस्थता एवं सुलह को बढ़ावा देना।
    - *उदाहरण* : **लोक अदालतें पहले** ही प्रभावी सिद्ध हो चुकी हैं।
2. **बढ़ी हुई फंडिंग** :
    - बेहतर पहुंच और बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधन आवंटित करें।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

3. **जागरूकता अभियान को मजबूत करना** :

   ○ नागरिकों को कानूनी सहायता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करें।

4. **रिक्तियां भरना** :

   ○ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कार्मिकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित करना।

5. **नागरिक समाज के साथ सहयोग** :

   ○ ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में लक्षित पहुंच के लिए साझेदारी का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, एडीआर को बढ़ावा देकर और जागरूकता बढ़ाकर, **नालसा** सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक जनादेश को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास भारत के कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा और समान न्याय के सिद्धांत को कायम रखेगा।

प्रश्न 3. भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिककरण है। प्रासंगिक केस कानूनों की मदद से इस कथन पर चर्चा करें। [150 शब्द] [10 अंक] 2022

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

उत्तर

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से संवैधानिक बना दिया है** , जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। न्यायिक सक्रियता और ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से, इसने पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जिसने आधुनिक भारतीय पर्यावरण कानून को आकार दिया है।

पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण

1. **ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985)** :

   ○ **देहरादून *उत्खनन मामले ने* न्यायिक हस्तक्षेप** की शुरुआत की, जिसने नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए विनाशकारी चूना पत्थर खनन को रोक दिया।

2. **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)** :

- ***गंगा प्रदूषण मामले*** के कारण भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कर दिया गया तथा उन्हें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

3. **वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996)** :
   - ***एहतियाती सिद्धांत* और *प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत को*** लागू किया गया , जिससे उद्योगों को प्रदूषण के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाया गया।
4. **टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ (1995)** :
   - ***वन संरक्षण मामले के*** नाम से प्रसिद्ध इस न्यायालय ने वन प्रबंधन की निगरानी की तथा संरक्षण कानूनों को लागू किया।
5. **सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)** :
   - अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में स्वच्छ हवा और पानी के अधिकार को मान्यता दी गई।
6. **दिल्ली वायु प्रदूषण (2021)** :
   - सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ हवा के अधिकार पर जोर देते हुए दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भूमिका

1. **कुशल पर्यावरण मुकदमेबाजी** :
   - एनजीटी पर्यावरण विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है।
   - *उदाहरण :* ***2023 में, एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को*** लागू करते हुए, भूजल प्रदूषण के लिए **तमिलनाडु** में उद्योगों पर जुर्माना लगाया ।
2. **सक्रिय निर्णय** :
   - ***स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस (2018)*** : एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाते हुए प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति दी।
3. **सतत विकास पर ध्यान** :
   - एनजीटी नियमित रूप से पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू करता है, जैसे एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और रेत खनन उल्लंघन।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

पर्यावरण मुकदमेबाजी में मुद्दे

1. **न्यायिक अतिक्रमण** :
   - न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की कभी-कभी कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए आलोचना की जाती है।
   - *उदाहरण* : **कोयला ब्लॉक आवंटन में सर्वोच्च न्यायालय** के हस्तक्षेप से शक्तियों के पृथक्करण के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं।
2. **कार्यान्वयन का अभाव** :
   - न्यायिक आदेशों के बावजूद नौकरशाही की अकुशलता के कारण प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
   - *उदाहरण* : पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंध का अनुपालन सीमित रहा है।
3. **न्यायनिर्णयन में विलंब** :
   - पर्यावरण से जुड़े मामलों में अक्सर अदालतों और एनजीटी में प्रक्रियागत अकुशलता के कारण देरी होती है।
4. **न्याय तक सीमित पहुंच** :
   - उच्च लागत और जागरूकता की कमी के कारण हाशिए पर पड़े समुदायों को पर्यावरणीय मुकदमे तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

समाधान

1. **एनजीटी को मजबूत बनाना** :
   - संसाधन बढ़ाएँ, अधिकार क्षेत्र का विस्तार करें और आदेशों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करें।
2. **सख्त अनुपालन तंत्र** :
   - न्यायिक निर्देशों के अनुपालन न करने पर निगरानी रखें तथा दण्डित करें।
   - *उदाहरण* : दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों का पालन न करने पर जुर्माना लगाना।
3. **जन भागीदारी** :

- ○ जागरूकता को बढ़ावा दें और पर्यावरणीय निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों को शामिल करें।
- ○ *उदाहरण* : एनजीटी द्वारा निगरानी की जाने वाली समुदाय-आधारित वनरोपण परियोजनाएं।

4. **शीघ्र मामला निपटान** :
   - ○ सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी दोनों में पर्यावरण संबंधी मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा।
5. **सहयोगात्मक शासन** :
   - ○ प्रभावी पर्यावरणीय शासन के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय बढ़ाना।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका ने भारत में पर्यावरण संबंधी मुकदमेबाजी को बदल दिया है, जिससे संवैधानिक अधिकारों में पारिस्थितिकी संरक्षण को शामिल किया गया है। सतत विकास और न्यायिक रूप से अनिवार्य जवाबदेही जैसे सिद्धांतों को एकीकृत करके, न्यायालय ने पर्यावरण न्यायशास्त्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एनजीटी जैसी संस्थाओं को मजबूत करना और मुकदमेबाजी की अक्षमताओं को संबोधित करना यह सुनिश्चित करेगा कि भारत विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना जारी रखे।

TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

प्रश्न 4. न्यायिक विधान भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने की प्रार्थना करते हुए बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएँ दायर करना उचित ठहराएँ। [250 शब्द] [15 अंक] 2020

उत्तर

भारतीय संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका उन्हें लागू करे और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करे। हालाँकि, न्यायपालिका के सक्रिय हस्तक्षेप, विशेष रूप से **जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से** , अक्सर शासन संबंधी कमियों को दूर करने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए इन रेखाओं को धुंधला कर देते हैं।

न्यायिक विधान के साधन के रूप में जनहित याचिका

जनहित याचिकाओं ने न्यायपालिका को सामाजिक न्याय और शासन में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। इनमें प्रमुख मामले शामिल हैं:

1. **पर्यावरण संरक्षण** :

   ○ ***एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)*** : न्यायालय ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही पर जोर देते हुए गंगा नदी के किनारे प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया।

   ○ ***देहरादून उत्खनन मामला (1985)*** : न्यायालय ने चूना पत्थर खनन पर रोक लगा दी, जिससे पारिस्थितिकी संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की मिसाल कायम हुई।

2. **सामाजिक न्याय** :

   ○ ***विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)*** : कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी दिशानिर्देश स्थापित किए गए।

   ○ ***शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)*** : लैंगिक समानता को बरकरार रखते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया।

3. **आजीविका और आवास का अधिकार** :

   ○ ***ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)*** : इसने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा।

   ○ *चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996)* : आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

4. **मानवाधिकार और गोपनीयता** :

   ○ *पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)* : गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की गई।

   ○ *बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)* : बंधुआ मजदूरी और सम्मान के अधिकार पर चर्चा की गई।

हाल के मामलों में न्यायिक सक्रियता

1. **पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण** :

   ○ ***दिल्ली वायु प्रदूषण मामला (2021)*** : वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

   ○ *स्टरलाइट कॉपर प्लांट केस (2018)* : एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक गतिविधि और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन की समीक्षा की।

2. **कोविड-19 महामारी** :

    ○ ***ऑक्सीजन आपूर्ति संकट (2021)*** : महामारी के दौरान जब कार्यपालिका प्रणाली लड़खड़ा गई, तो न्यायपालिका ने समान ऑक्सीजन वितरण सुनिश्चित किया।

    ○ **प्रवासी श्रमिक (*2020*):** सरकार को लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को परिवहन, भोजन और आश्रय प्रदान करने का निर्देश दिया।

3. **पेगासस स्पाइवेयर केस (2022)** :

    ○ सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की रक्षा करते हुए सरकारी निगरानी के आरोपों की जांच का आदेश दिया।

4. **श्रम अधिकार** :

    ○ ***फैक्ट्री वर्कर्स सेफ्टी पीआईएल (2021)*** : औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उल्लंघनों को संबोधित किया गया।

5. **ट्रांसजेंडर अधिकार** :

    ○ ***नालसा बनाम भारत संघ (2014)*** : ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को समानता के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई।

न्यायिक सक्रियता का औचित्य

1. **विधायी एवं कार्यकारी निष्क्रियता** :

    ○ **विलम्ब या विफलताएँ** :

        ■ जब सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है।

        ■ *उदाहरण* : कोविड-19 ऑक्सीजन संकट के दौरान, न्यायपालिका ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए।

    ○ **कानूनों का अभाव** :

        ■ पर्याप्त कानून के अभाव में अक्सर अदालतें दिशानिर्देश जारी करने के लिए बाध्य हो जाती हैं।

        ■ *उदाहरण* : *विशाखा दिशा-निर्देशों में* वैधानिक ढांचे के अभाव में यौन उत्पीड़न को संबोधित किया गया।

2. **जागरूकता में वृद्धि और न्याय तक पहुंच** :

   - **हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तिकरण** :
     - जनहित याचिकाएं उन लोगों को आवाज प्रदान करती हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है।
     - *उदाहरण* : *पीयूसीएल बनाम भारत संघ* (2001) *ने* भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
   - **एनजीओ और नागरिक वकालत** :
     - नागरिक समाज की भागीदारी ने जनहित याचिका दायर करने को बढ़ावा दिया है, तथा प्रदूषण, श्रम अधिकार और आवास जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान दिया है।
     - *उदाहरण* : ***एनजीओ ने*** **औद्योगिक प्रदूषण** को उजागर करते हुए *ताज ट्रैपेज़ियम केस* (1996) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

3. **सार्वजनिक अपेक्षाएँ और जवाबदेही** :

   - जब कार्यपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाया जाता है तो न्यायालयों को संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखा जाता है।
   - *उदाहरण* : **पेगासस मामले में** गोपनीयता और निगरानी पर सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित किया गया।

4. **गतिशील शासन की आवश्यकताएँ** :

   - न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा के लिए बदलती सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कार्य करती है।
   - *उदाहरण* : ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ* (2018**) निर्णय ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया, जो बदलते सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है।

न्यायिक विधान में मुद्दे

1. **न्यायिक अतिक्रमण** :

   - कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं।

- *उदाहरण* : पटाखों पर प्रतिबन्ध से विधायी नीति निर्माण को दरकिनार करने की चिंता उत्पन्न हो गई।

2. **तुच्छ जनहित याचिकाएँ** :

    - व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जनहित याचिकाओं के बढ़ते दुरुपयोग से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है।
    - *उदाहरण* : **जूही चावला 5जी मुकदमे को** तुच्छ बताकर खारिज कर दिया गया और न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया गया।

3. **प्रवर्तन चुनौतियाँ** :

    - यहां तक कि जब अदालतें आदेश जारी करती हैं, तो प्रभावी कार्यान्वयन के अभाव में उनका प्रभाव कम हो जाता है।
    - *उदाहरण* : पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक लगाने के आदेशों का सीमित अनुपालन।

4. **न्यायिक संसाधनों पर दबाव** :

    - जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या के कारण न्यायिक लंबित मामलों में वृद्धि होती है तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संसाधन हट जाते हैं।

समाधान

1. **संतुलित न्यायिक सक्रियता** :

    - न्यायालयों को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब शासन विफल हो जाए, तथा अनावश्यक अतिक्रमण से बचना चाहिए।

2. **जनहित याचिकाओं की कठोर जांच** :

    - तुच्छ मामलों को छांटने के लिए जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करें।
    - *उदाहरण : **अशोक पांडे बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2018)*** में दिशानिर्देश उचित जांच पर जोर देते हैं।

3. **कार्यकारी जवाबदेही को मजबूत करना** :

- ○ न्यायिक हस्तक्षेप पर निर्भरता कम करने के लिए शासन में सुधार करें।
- ○ *उदाहरण : दिल्ली वायु प्रदूषण मामले* की तरह न्यायिक कार्रवाई को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण तंत्र को बढ़ाना ।

4. **कार्यान्वयन की निगरानी** :
    - ○ न्यायिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करें।
    - ○ *उदाहरण* : पराली जलाने पर दंड की नियमित निगरानी।
5. **जन जागरूकता अभियान** :
    - ○ नागरिकों को जिम्मेदार जनहित याचिका के उपयोग और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक तंत्रों के बारे में शिक्षित करें।
6. **शासन संस्थाओं को मजबूत बनाना** :
    - ○ न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए, प्रभावी रूप से कमियों को दूर करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक कानून ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमियों को भरा है और संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखा है, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए। हालांकि, न्यायपालिका को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए संयम बरतना चाहिए। सक्रियता और सावधानी के बीच संतुलन बनाकर, अदालतें सरकार की अन्य शाखाओं में जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए न्याय के महत्वपूर्ण रक्षक के रूप में कार्य करना जारी रख सकती हैं।

प्रश्न 5. विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा करें। [150 शब्द] [10 अंक] 2021

उत्तर

उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना भारत की न्याय प्रणाली **में विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित** करने के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का वर्तमान कम प्रतिनिधित्व न्यायपालिका की लैंगिक-संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने और न्यायसंगत न्याय प्रदान करने की क्षमता को सीमित करता है।

भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

1. **सुप्रीम कोर्ट** :

"Copyright of Freedom Academy" operated by Freedom UPSC with Dhananjay Gautam

- 34 न्यायाधीशों में से केवल 4 महिलाएं हैं (2023), जो प्रगति दर्शाता है लेकिन अभी भी अपर्याप्त है।

2. **उच्च न्यायालय** :

    - उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या लगभग 12% है, जबकि कुछ राज्यों में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।
    - *उदाहरण* : गुजरात और बिहार उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम है।

3. **जिला न्यायालय** :

    - न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या लगभग 35% है, जो उच्च न्यायपालिका की तुलना में निचले स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

अधिक प्रतिनिधित्व का महत्व

1. **न्यायिक विविधता बढ़ाना** :

    - विविध दृष्टिकोण न्यायिक व्याख्या और निर्णय-निर्माण को समृद्ध बनाते हैं।
    - *उदाहरण* : कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ *विशाखा दिशानिर्देश (1997) ने* लिंग-संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने के महत्व को दर्शाया।

2. **लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व को कायम रखना** :

    - बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका सामाजिक लैंगिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करे।
    - *उदाहरण* **: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना 2027** में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हैं, जो प्रगति का प्रतीक है।

3. **महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार** :

    - लिंग-संतुलित न्यायपालिका महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता सुनिश्चित करती है।
    - *उदाहरण* : ***सबरीमाला मंदिर मामला (2018)*** ने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि की और यह लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर था।

4. **जन विश्वास को मजबूत करना** :

- प्रतिनिधित्व न्याय चाहने वाली महिलाओं के बीच विश्वास को बढ़ाता है।
- *उदाहरण* : यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में आत्मविश्वास में वृद्धि।

5. **लिंग-विशिष्ट मुद्दों से निपटना** :

- महिला न्यायाधीश अपने जीवंत अनुभव लेकर आती हैं तथा प्रजनन अधिकारों और कार्यस्थल समानता जैसे मामलों में सहानुभूति बढ़ाती हैं।

महिला प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ

1. **संस्थागत बाधाएं और सामाजिक पूर्वाग्रह** :

- सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता और असमान अवसर न्यायपालिका में महिलाओं के उत्थान में बाधा डालते हैं।
- *उदाहरण* : **पुरुष-प्रधान कानूनी प्रथाओं** में महिला अधिवक्ताओं को भेदभाव और सीमित मार्गदर्शन का सामना करना पड़ता है।

2. **पदोन्नति के मार्ग** :

- पारदर्शी पदोन्नति मानदंडों का अभाव उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की प्रगति को सीमित करता है।

3. **सीमित नियुक्तियाँ** :

- विविधता के आह्वान के बावजूद, नियुक्तियाँ पुरुषों के पक्ष में ही झुकी हुई हैं।
- *उदाहरण* : कॉलेजियम की सिफारिशों में अक्सर लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण का अभाव होता है।

4. **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा** :

- न्यायालयों में प्रायः बाल देखभाल सुविधाओं जैसी सहायक प्रणालियों का अभाव होता है, जिससे महिलाओं की करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता प्रभावित होती है।

5. **सामाजिक धारणाएँ** :

- नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं को उच्च-स्तरीय मामलों को संभालने की उनकी क्षमता के बारे में संदेह का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी पदोन्नति में और देरी होती है।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय

1. **लिंग-संवेदनशील कॉलेजियम की सिफारिशें** :
    - उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. **मेंटरशिप कार्यक्रम** :
    - न्यायिक नेतृत्व की भूमिका की ओर प्रगति करने में महिला अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए पहल शुरू करना।
    - *उदाहरण* : **यूनाइटेड किंगडम** की न्यायपालिका में इसी तरह के कार्यक्रमों ने महिलाओं को बढ़ावा देने में मदद की है।
3. **पारदर्शी भर्ती एवं पदोन्नति नीतियां** :
    - वस्तुनिष्ठ, योग्यता-आधारित मानदंड स्थापित करें जो नियुक्तियों में विविधता को प्राथमिकता दें।
4. **बुनियादी ढांचा विकास** :
    - कामकाजी माताओं की सहायता के लिए न्यायालय परिसरों में बाल देखभाल केन्द्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
5. **न्यायपालिका में आरक्षण में वृद्धि** :
    - न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक कोटा लागू किया जाए, जैसा कि स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में होता है, जहां न्यायपालिका में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है।
6. **जागरूकता अभियान** :
    - कानूनी बिरादरी को लिंग विविधता और समानता के महत्व पर शिक्षित करें।
7. **सरकार द्वारा संचालित पहल** :
    - सरकार को न्यायपालिका में महिलाओं के प्रवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
    - *उदाहरण* : कानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति और अनुदान।

न्यायिक नेतृत्व में महिलाओं के हालिया उदाहरण

1. **न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी** :
    - सुप्रीम कोर्ट में हाल की नियुक्तियाँ लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति को उजागर करती हैं।
2. **न्यायमूर्ति लीला सेठ** :
    - किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उन्होंने नेतृत्व में महिलाओं के लिए एक मानक स्थापित किया।
3. **दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय** :
    - महिला न्यायाधीशों ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसले देने में सक्रिय योगदान दिया है।

निष्कर्ष

उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व **एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और समावेशी न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य है। लिंग-संतुलित न्यायालय न केवल सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं** बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता और सहानुभूति भी लाते हैं, जिससे सभी के लिए न्याय सुनिश्चित होता है। संस्थागत सुधार, लिंग-संवेदनशील भर्ती और सहायक बुनियादी ढाँचा भारत की न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निरंतर प्रयास एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि न्यायपालिका का मार्ग प्रशस्त करेंगे जो लोकतांत्रिक आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेगी।

TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

प्रश्न 6. न्यायालयों द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में विवादास्पद मुद्दों के समाधान से, 'संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'सामंजस्यपूर्ण निर्माण' उभर कर सामने आए हैं। व्याख्या करें। [150 शब्द] [10 अंक] 2019

उत्तर

सातवीं अनुसूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करके एक संघीय ढांचा प्रदान करता है , जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ शामिल हैं। इसके बावजूद, विधायी डोमेन पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। न्यायालय विवादों को सुलझाने और संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए **संघीय सर्वोच्चता** , **सामंजस्यपूर्ण निर्माण** और **सार और सार जैसे सिद्धांतों सहित विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करते हैं।**

विधायी विवादों को सुलझाने के सिद्धांत और सिद्धांत

1. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत

यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संघ और राज्य कानून बिना किसी संघर्ष के सह-अस्तित्व में रहें, सहयोग को बढ़ावा दें और विधायी स्वायत्तता को संरक्षित रखें।

- **उदाहरण मामला** : ***श्री कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर बनाम गुजरात विश्वविद्यालय (1963)***
 न्यायालय ने शिक्षा पर कानून बनाने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा (राज्य सूची), जबकि यह सुनिश्चित किया कि वह उच्च शिक्षा पर संघ के कानूनों (संघ सूची) का अनुपालन करे।

- **जल विवाद** :
 कावेरी जल विवाद (2018) जैसे अंतर-राज्यीय जल विवादों को **अनुच्छेद 262 के** तहत राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करके हल किया गया था।

- **कोविड-19 महामारी** :
 न्यायपालिका ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत राज्यों की स्वायत्तता के साथ केंद्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाया, जिससे एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ।

2. संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत

तो अनुच्छेद 254 के तहत संघीय कानून लागू होता है , जिससे राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित होती है।

- **उदाहरणार्थ** : *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962)*
 सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय महत्व पर बल देते हुए संघ के अधिकार के तहत भूमि अधिग्रहण करने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा।

- **सीबीआई का क्षेत्राधिकार** :
 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसपीई) के तहत केंद्र का अधिकार अक्सर राज्य की आपत्तियों को दरकिनार कर देता है।

    - *उदाहरण : मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ (2014)* में , न्यायालय ने राज्य के मामलों में सीबीआई क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा।

- **एनआईए क्षेत्राधिकार** :
 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम आतंकवाद से संबंधित मामलों पर केंद्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, तथा संघीय सर्वोच्चता को मजबूत करता है।

    - *उदाहरण* : आतंकवाद के मामलों पर अधिकार क्षेत्र पर राज्य की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इस अधिनियम को बरकरार रखा गया।

3. सार और तत्व का सिद्धांत

Freedom Academy

यह सिद्धांत तब लागू होता है जब एक विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। यह विवादों को हल करने के लिए कानून की "वास्तविक प्रकृति" निर्धारित करता है।

- **उदाहरण मामला** : *बॉम्बे राज्य बनाम एफ.एन. बलसारा (1951)*
  सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के निषेध कानून को बरकरार रखा, भले ही इससे व्यापार और वाणिज्य पर संघ की शक्तियां प्रभावित हुई हों।

- **कृषि कानून (2020)** :
  यद्यपि कृषि एक राज्य सूची का विषय है, केंद्र ने संघ सूची में अपनी अंतर-राज्यीय व्यापार शक्तियों के तहत कानूनों को उचित ठहराया, और सार और सार सिद्धांत का आह्वान किया।

4. रंग-रूपी विधान का सिद्धांत(DOCTRIN OF COLOURABLE LAGISLATIVE)

यह सिद्धांत विधायिकाओं को उनके अधिकार की आड़ में ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का उल्लंघन करते हों।

- **उदाहरण मामला** : *के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953)*
  न्यायालय ने राज्य के उन कानूनों को अमान्य कर दिया, जो संवैधानिक सीमाओं को दरकिनार करने का प्रयास करते थे।

5. घृणा का सिद्धांत(Doctrine of Repugnancy)

जब समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, तो **अनुच्छेद 254 के तहत संघीय कानून लागू होता है** ।

- **उदाहरण** : *एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979)*
  सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा जब राज्य के कानून समवर्ती सूची में संघीय कानूनों का खंडन करते हैं।

- **पर्यावरण कानून** :
  प्रदूषण नियंत्रण पर संघीय कानून, एक समान राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य कानूनों पर हावी होते हैं।

संघीय विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका

1. **जल विवाद** :

    - अनुच्छेद 262 के तहत संकल्पित न्यायपालिका ने राष्ट्रीय ढांचे को लागू करते हुए अंतर-राज्यीय जल आवश्यकताओं को संतुलित किया है।

○ *उदाहरण* : **कावेरी जल विवाद** निर्णय ने संघीय सामंजस्य बनाए रखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल आवंटित किया।

2. **समवर्ती सूची विवाद** :

○ स्वास्थ्य और शिक्षा समवर्ती सूची में आते हैं, जिसके कारण अक्सर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

○ *उदाहरण : चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997)* में न्यायालय ने राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सह-अस्तित्व की अनुमति दी।

3. **अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद** :

○ राज्य अक्सर केंद्र के साथ विवादों के लिए **अनुच्छेद 131 का** सहारा लेते हैं।

○ *उदाहरण* : केरल ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए चुनौती दी।

4. **पर्यावरण संघवाद** :

○ पर्यावरण पर संघीय कानून अक्सर एकसमान मानकों को लागू करने के लिए राज्य कानूनों को दरकिनार कर देते हैं।

○ *उदाहरण* : सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में केंद्रीय वायु गुणवत्ता कानूनों के अनुपालन का निर्देश दिया।

सिद्धांतों का महत्व

1. संघीय सर्वोच्चता

- रक्षा, पर्यावरण और अंतर-राज्यीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सामंजस्य बनाए रखना।
- *उदाहरण* : कृषि कानूनों ने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सुधारों को संबोधित करने के लिए अंतर-राज्यीय व्यापार शक्तियों का आह्वान किया।

2. सामंजस्यपूर्ण निर्माण

- संघ और राज्य कानूनों को सह-अस्तित्व में लाने के द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- *उदाहरण* : COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य उपायों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (संघ) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियमों (राज्य) को संतुलित किया।

Freedom Academy
ASPIRE TO SCALE HEIGHTS

3. मज्जा और पदार्थ

- कानून के मूल विषय पर ध्यान केंद्रित करके संघर्षों को रोकता है, जिससे कानून व्यापक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम होता है।
- *उदाहरण* : भूमि उपयोग पर राज्य के कानून अक्सर औद्योगिक विकास पर संघीय कानूनों से टकराते हैं, लेकिन उनके प्राथमिक उद्देश्य को बरकरार रखा जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना** :
   - **अंतर-राज्यीय परिषद (आईएससी)** : **रावी-ब्यास और कावेरी मुद्दों जैसे अंतर-राज्यीय विवादों के नियमित समाधान के लिए आईएससी को पुनर्जीवित करना** ।
   - **क्षेत्रीय परिषदें** : स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में क्षेत्रीय सहयोग के लिए परिषदों को सशक्त बनाना।
2. **सातवीं अनुसूची पर पुनः विचार** :
   - **समवर्ती सूची की समीक्षा** : स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अतिव्यापी क्षेत्रों को परिभाषित करें।
   - **विकेंद्रीकरण** : कृषि जैसे क्षेत्रीय मामलों के लिए राज्यों को शक्तियां सौंपना।
3. **वित्तीय संघवाद को मजबूत करना** :
   - **समान संसाधन आवंटन** : जीएसटी और वित्त आयोग के आवंटन पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया जाएगा।
   - **राजस्व स्वायत्तता** : राज्यों को स्थानीय स्तर पर राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना।
4. **संघीय विवादों में न्यायपालिका की भूमिका** :
   - **अनुच्छेद 131 के अंतर्गत विशेष पीठ** : सीबीआई क्षेत्राधिकार और एनआईए हस्तक्षेप जैसे अंतर-राज्यीय विवादों पर फास्ट-ट्रैक मामले।
   - **सामंजस्यपूर्ण निर्माण** : केंद्र और राज्य शक्तियों में संतुलन, जैसा कि **COVID-19 दिशानिर्देशों** और **सबरीमाला मंदिर मामले में देखा गया है** ।
   - **न्यायिक आदेशों का प्रवर्तन** : जल बंटवारे जैसे मुद्दों में अनुपालन सुनिश्चित करना।

5. **सहयोग के माध्यम से शासन में सुधार** :

    ○ **संयुक्त कार्य बल** : प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करना।

    ○ **हितधारक परामर्श** : संघर्षों से बचने के लिए कृषि नीतियों जैसे कानून बनाने में राज्यों को शामिल करें।

6. **संवाद आधारित समाधान को बढ़ावा देना** :

    ○ अंतर्राज्यीय जल विवाद और एनआईए क्षेत्राधिकार जैसे विवादास्पद क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाने के लिए नियमित केंद्र-राज्य संवाद।

7. **समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना** :

    ○ केंद्र-राज्य वित्तीय और विधायी मामलों में पारदर्शिता के लिए ई-प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

    ○ उदाहरण: नदी विवादों पर वास्तविक समय डेटा साझा करना।

8. **संयम के साथ न्यायिक समीक्षा** :

    ○ संघीय सिद्धांतों को कायम रखते हुए न्यायिक अतिक्रमण से बचें, जैसा कि *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) में हुआ*।

9. **सहकारी संघवाद पर जोर** :

    ○ एकसमान राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देते हुए राज्यों की विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं को पहचानना।

    ○ शिक्षा और अभियानों के माध्यम से सहकारी संघवाद के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना।

निष्कर्ष

एक मजबूत न्यायपालिका, सहयोग के लिए स्पष्ट रूपरेखा और **समावेशी शासन तंत्र सहकारी संघवाद को** मजबूत कर सकते हैं। **स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाकर**, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका **संघीय ढांचा संवैधानिक सद्भाव** बनाए रखते हुए विविध और विकसित होती जरूरतों को पूरा करे।

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

प्रश्न 7. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण करें। [150 शब्द] [10 अंक] 2017

उत्तर

सुप्रीम कोर्ट ने **99वें संविधान संशोधन** और **एनजेएसी अधिनियम, 2014 को मूल संरचना सिद्धांत , विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता** के उल्लंघन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया । हालांकि इसने न्यायिक प्रधानता को बरकरार रखा, लेकिन इस फैसले ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में खामियों को उजागर किया।

एनजेएसी से संबंधित मुद्दे

1. **न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता** :
   - कार्यकारी और गैर-न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से बाहरी दबाव का खतरा पैदा हो गया, जिससे निष्पक्षता को खतरा पैदा हो गया।
   - *उदाहरण*: एनजेएसी नियुक्तियों में राजनीतिक प्रभाव की अनुमति दे सकता था।
2. **न्यायिक प्रधानता का कमजोर होना** :
   - गैर-न्यायिक सदस्यों की वीटो शक्ति ने नियुक्तियों में न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर कर दिया।
   - *उदाहरण*: **द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993)** और **तृतीय न्यायाधीश मामले (1998)** ने न्यायिक प्रधानता की पुष्टि की।
3. **मूल संरचना का उल्लंघन** :
   - न्यायिक स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना की आधारशिला है और **अनुच्छेद 124 और 217 के तहत इससे समझौता नहीं किया जा सकता** ।
4. **संभावित कार्यकारी अतिक्रमण** :
   - कार्यपालिका के शामिल होने से राजनीतिक विचारों से प्रभावित नियुक्तियां हो सकती हैं।

एनजेएसी निर्णय की आलोचना

1. **संविधानेतर मंच का समर्थन** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- इस निर्णय में संसद द्वारा अनुमोदित ढांचे के स्थान पर कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा गया, जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो गईं।

2. **न्यायिक प्रधानता में अस्पष्टता** :

   - न्यायालय ने न्यायिक प्रधानता को संविधान के उन प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से सामंजस्य नहीं बिठाया, जिनमें राष्ट्रपति को परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।

3. **"परामर्श" की गलत व्याख्या** :

   - अनुच्छेद 124 और 217 में "परामर्श" को "सहमति" के रूप में व्याख्यायित करने से कार्यपालिका की भूमिका सीमित हो गई, तथा इच्छित नियंत्रण और संतुलन से भटक गई।

4. **कॉलेजियम की खामियां स्वीकार की गईं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ** :

   - न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली में अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी जैसे मुद्दों को पहचाना, लेकिन तत्काल समाधान प्रस्तावित करने में विफल रहा।

एनजेएसी की आवश्यकता

1. **पारदर्शिता और जवाबदेही** :

   - कॉलेजियम में नियुक्तियों के लिए औपचारिक मानदंडों का अभाव है, जिससे अस्पष्टता को बढ़ावा मिलता है।
   - *उदाहरण* : चयन के कारणों का खुलासा न करना विश्वास को कमजोर करता है।

2. **नियंत्रण और संतुलन** :

   - कार्यपालिका को शामिल करने से न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक निगरानी सुनिश्चित होती है।

3. **योग्यता आधारित चयन** :

   - एनजेएसी जैसा संरचित निकाय मनमाने निर्णयों को रोक सकता है।

4. **लोगों का भरोसा** :

Freedom Academy
TOGETHER WE SCALE HEIGHTS

- एक पारदर्शी प्रणाली न्यायिक निष्ठा में जनता का विश्वास बढ़ाती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **कॉलेजियम प्रणाली में सुधार** :
   - औपचारिक मानदंड प्रस्तुत करें, कारणों का दस्तावेजीकरण करें और निर्णय प्रकाशित करें।
   - *उदाहरण* : **ब्रिटेन के न्यायिक नियुक्ति आयोग** में भी इसी प्रकार के सुधार प्रभावी रहे हैं।
2. **संतुलित एनजेएसी फ्रेमवर्क** :
   - न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एनजेएसी को पुनर्जीवित करना।
3. **स्वतंत्र आयोग** :
   - न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ एक पारदर्शी निकाय की स्थापना करें।
4. **आवधिक समीक्षा** :
   - नियुक्तियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन आयोजित करें।
5. **विविधता और योग्यता को बढ़ावा देना** :
   - हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें और योग्यता आधारित चयन पर ध्यान केंद्रित करें।
6. **न्यायिक प्रशिक्षण और जवाबदेही** :
   - विश्वास बढ़ाने के लिए न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करें।

निष्कर्ष

Freedom Academy

एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्यायिक स्वतंत्रता की पुष्टि की, लेकिन अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा। न्यायिक स्वायत्तता, पारदर्शिता और संतुलित निगरानी को मिलाकर सुधार करना कुशल, निष्पक्ष और विश्वसनीय न्यायिक नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

8. कोएल्हों मामले में क्या निर्णय दिया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है? [200 शब्द] [12.5 अंक] 2016

उत्तर

आईआर **कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले ने** भारतीय संविधान की एक मौलिक विशेषता के रूप में **न्यायिक समीक्षा** के महत्व की पुष्टि की । सर्वोच्च न्यायालय ने **मूल संरचना के सिद्धांत पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि नौवीं अनुसूची** में रखे गए कानून न्यायिक जांच से मुक्त नहीं हैं, अगर वे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

कोएलो मामले के मुख्य बिंदु

1. **न्यायिक समीक्षा की पुष्टि** :
   - **24 अप्रैल, 1973** (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों तक विस्तारित है ।
   - *उदाहरण* : संपत्ति के अधिकार या समानता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को चुनौती दी जा सकती है, भले ही वे नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित हों।
2. **मूल संरचना का सुदृढ़ीकरण** :
   - मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानून, जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या न्यायिक स्वतंत्रता, को अमान्य किया जा सकता है।
   - *उदाहरण* : नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों की मूल संरचना के अनुरूपता के लिए जांच की गई।
3. **मौलिक अधिकारों का संरक्षण** :
   - यह सुनिश्चित करता है कि संशोधन या कानून नागरिकों के अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकते, यहां तक कि नौवीं अनुसूची के तहत भी।
   - *उदाहरण* : **अनुच्छेद 14 (समानता)** और **अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) के तहत अधिकारों की सुरक्षा** ।

4. **विधायी अतिक्रमण को कम करना** :

   ○ न्यायपालिका के पास न्यायिक जांच को दरकिनार करने के लिए नौवीं अनुसूची जैसे संवैधानिक तंत्र के दुरुपयोग को रोकने का अधिकार है।

5. **संवैधानिक सर्वोच्चता को मजबूत करना** :

   ○ निर्णय में इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि संवैधानिक सिद्धांत विधायी इरादों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

6. **न्यायिक समीक्षा का विकास** :

   ○ इस मामले ने विधायी चुनौतियों के बीच संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने में न्यायपालिका की उभरती भूमिका को प्रदर्शित किया।

एक बुनियादी विशेषता के रूप में न्यायिक समीक्षा का महत्व

1. **नियंत्रण और संतुलन** :

   ○ न्यायिक समीक्षा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है।

   ○ *उदाहरण* : **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** जैसे मामले में मनमाने कार्यकारी निर्णयों को रद्द करना ।

2. **मौलिक अधिकारों का संरक्षण** :

   ○ मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों से सुरक्षा।

   ○ *उदाहरण* : न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण एनजेएसी को रद्द करना।

3. **मूल संरचना की सुरक्षा** :

   ○ संविधान की आवश्यक विशेषताओं को कमजोर करने वाले संशोधनों को रोकता है।

   ○ *उदाहरण* : **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** ने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की।

4. **लोकतंत्र का संरक्षण** :

○ विधायी और कार्यकारी अतिक्रमण को सीमित करके अधिनायकवाद के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है।

○ *उदाहरण :* **आपातकाल (1975-77)** के दौरान न्यायपालिका की भूमिका ने न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि की।

5. **संवैधानिक सर्वोच्चता** :

○ यह सुनिश्चित करना कि कानून संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।

○ *उदाहरण* : **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में असंवैधानिक आरक्षण को अमान्य करना ।**

6. **आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल होना** :

○ न्यायिक समीक्षा उभरती सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करती है।

○ *उदाहरण :* **पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित करना ।

Freedom Academy

निष्कर्ष

कोएलो **निर्णय ने** न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की एक अभिन्न विशेषता के रूप में पुख्ता किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी कानून, यहां तक कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भी, **मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते** । नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने और संवैधानिक सर्वोच्चता को मजबूत करने के माध्यम से, न्यायिक समीक्षा भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को संरक्षित करने के लिए आवश्यक बनी हुई है।